

संशोधित

नेट प्रजेन्ट वैल्यू (NPV) की गणना

मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देश दिनांक 28.03.2008 तथा 9.5.2008 को पारित आदेशों के अनुपालन में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा टूण्डला-एटा मार्ग (एस०एच०-31) चैनैज- 22.00 से 57.160 जिला-एटा पर प्रस्तावित गैस पाईप लाइन निर्माण हेतु एटा वन प्रभाग की 1.9338 है० संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्ताव में प्रभावित 1.9338 है० संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित होने वाली संरक्षित वन भूमि की एन.पी.वी. की गणना निम्न प्रकार है :-

स्थल का नाम	वन प्रकार	क्षेत्रफल है० में	ईको क्लास.	धनत्व	प्रति है० वैल्यू रु० में	कुल वैल्यू रु० में
टूण्डला- एटा मार्ग (एस० एच०-31) चैनैज 22.00 से 57.160 जिला-एटा	संरक्षित वन	1.9338	III	0.1	957780.00	1852154.96 अथवा 1852155.00
योग :-						1852155.00

(रु० अठारह लाख बावन हजार एक सौ पचपन मात्र)

(अरुण कुमार सिंह)

प्रभागीय निदेशक

सांसाध्यक प्राणिक प्रभाग

एटा।